नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी १९३४ से

कृष्ण की 16 कलाएं सिखाती हैं जीवन जीने की कला

छोटी छोटी कलाएं बनाती हैं बड़ी और सुंदर जिंदगी

बेहतर इंसान
बेहतर समाज
बेहतर भविष्य

अन्नमयी जीवन में पोषण और संतुलन जरूरी है	**प्राणमयी** ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें	**मनोमयी** मन पर नियंत्रण रखें	**विज्ञानमयी** ज्ञान के साथ विवेक जरूरी है	**आनंदमयी** हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीखें	**अतिशथिनी** अपनी क्षमताओं को लगातार निखारें	**विपरिणामिनी** समय के साथ खुद को बदलना सीखें	**संक्रामिणी** अच्छे विचार दूसरों तक पहुंचाएं
संकर्षिणी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ें	**प्रभवी** नेतृत्व करें, अहंकार नहीं	**कुंठिनी** नकारात्मकता और बुरी इच्छाओं पर संयम रखें	**विकासिनी** हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें	**मर्यादिनी** सफलता में भी मर्यादा न छोड़ें	**संहारिणी** अधर्म और गलत के खिलाफ खड़े हों	**सृजनात्मक** समस्याओं में भी नए समाधान खोजें	**सम्पूर्णता** ज्ञान, कर्म, प्रेम और संतुलन का मेल रखें

एससीओ में मोदी-पजेशकियन की मुलाकात पर अमेरिका बौखलाया

ईरान को मदद, तो भारत पर भी बैन

- रूबियो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला
- टैरिफ को लेकर चीन ने अमेरिका पर साधा निशाना

वाशिंगटन, (एजेंसी) 3 सितंबर. एससीओ शिखर सम्मेलन में ईरान के साथ सदस्यों देशों की हमदर्दी और व्यापारिक समझौते से अमेरिका बौखला उठा है. सम्मेलन के दो दिन बाद ही अमेरिका ने दो बड़े कदम उठाए. पहला, मानवरहित ड्रोन पर समय से पहले 100 प्रतिशत टैरिफ लागू कर दिया. इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा. दूसरा, ईरान के साथ लाभ पहुंचाने वाले व्यापारिक रिश्ते बनाने वाले देशों पर प्रतिबंध की खुली चेतावनी दी. यह चेतावनी अपरोक्ष रूप से सीधे भारत के संबंध में देखी जा रही है. अमेरिका के इन कदमों को लेकर चीन ने तत्काल तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया.

अमेरिक के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने गुरुवार को उन देशों को चेताया है जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं या कारोबार करने की योजना बना रहे हैं. रुबियो ने साफ कहा है कि भले ही वो देश कोई भी हो, यदि वह ईरान के साथ ट्रेड जारी रखता है तो उसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन प्रतिबंध लगाने से नहीं हिचकिचाएगा. दरअसल, मार्को रुबियो से किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ मीटिंग से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया था. जिस पर रुबियो ने कहा, मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच कोई ट्रेड डील हुई है. लेकिन, यह स्पष्ट है कि किसी भी देश को ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने में मदद नहीं करनी चाहिए. अगर कोई देश ऐसा करने का फैसला करता है, तो हमें उस देश पर भी प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे.

ड्रोन पर 100% टैरिफ, ड्रैगन का वर्चस्व होगा खत्म

अमेरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अनमैन्ड ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स के आयात यानी इंपोर्ट पर 100% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया. अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों और चीनी कंपनियों के वर्चस्व वाले इस सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है. व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस फैसले से अमरीका में ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ेगा और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता कम होगी. पिछले साल तक अमेरीकी कॉमर्शियल ड्रोन बाजार में चीनी कंपनी की लगभग 70% हिस्सेदारी थी. चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन टैरिफ से ग्लोबल ड्रोन सप्लाई चेन में खलल पड़ेगा और फेयर एंड कंपटेटिव मार्केट इन्वायरमेंट में कमजोरी आएगी. चीन इस कदम का पुरजोर विरोध करता है.

दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने पर था जोर

सम्मेलन में मोदी व पजेशकियन ने भारत-ईरान संबंध, व्यापार और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की थी. मोदी ने कहा था कि भारत ईरान के साथ अपने पुराने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है. दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने और नए क्षेत्रों को इसमें शामिल करने पर भी जोर दिया गया था.

7 दिन में दो यूका कचरा की रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने दिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश

नवभारत न्यूज
जबलपुर, 3 सितबंर. मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निष्पादन के बाद निकली राख की जांच रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सात दिन में मांगी है.

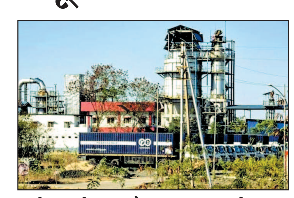

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह ने सभी पक्षकारों को जांच रिपोर्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से दस दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किये, जिससे रिपोर्ट पर वह अपनी राय पेश कर सकें. याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है. गौरतलब है कि यूका के जहरीले कचरे का विनिष्टीकरण किये जाने की मांग करते हुए भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह द्वारा साल 2004 में दायर किया गया था. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो जाने के कारण हाईकोर्ट उक्त मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है.

कोलकाता के टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़

कोलकाता. कोलकाता स्थित टीएमसी कार्यालय में गुरुवार सुबह 4:30 बजे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी. इससे राज्य की सियासत एक बार गर्म हो गई. घटना को लेकर सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि यदि विपक्ष के साथ हिंसा और डराने-धमकाने की राजनीति जारी रहनी है, तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है.

बालाकोट के वीर अभिनंदन अब नहीं उड़ाएंगे आईएएफ का विमान

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 3 सितंबर.भारतीय वायुसेना के वीर चक्र से सम्मानित पूर्व ग्रूप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के सेवा से अलग होने की खबर सामने आई है. उन्होंने अगस्त में गोवा स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन में पायलट के रूप में नई जिम्मेदारी संभाली है.

सूत्रों के हवाले से बताया कि अभिनंदन अब एफ एलवाई 91 के साथ बतौर पायलट जुड़े हैं. अभिनंदन के वायुसेना से अलग होने की संभावित वजह को लेकर भी अलग-अलग जानकारी सामने आई है.

सूत्रों ने बताया कि उन्हें दिसंबर 2021 में पदोन्नति मिली थी और बाद में उन्होंने सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना.

एक नजर में

यूएस में गोलीबारी में 2 मरे, 3 घायल

मिनियापोलिस. अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर के डाउनटाउन इलाके में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में हुई गोलीबारी ने अफरा-तफरी मचा दी. घटना में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि फायरिंग करने वाला संदिग्ध भी मारा गया. कार्रवाई के दौरान मिनियापोलिस पुलिस के तीन अधिकारी घायल हुए.

केदारनाथ के लिए 15 से फिर उड़ेंगे हेलीकॉप्टर

रुद्रप्रयाग. चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 15 सितंबर से फिर शुरू होने जा रही है. उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सेवा बहाल करने की तैयारियां तेज कर दी हैं. हवाई यात्रा के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग का पहला स्लॉट 7 सितंबर को खोला जाएगा.

दिल्ली में थार ने दो को कुचला, मौके पर मौत

नई दिल्ली, 3 सितंबर. दिल्ली कैंट इलाके में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक सवार महिला और पुरुष को टक्कर मार दी. इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत थार चालक को गाड़ी समेत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

फूलों से सजे बांके बिहारी

श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर वृन्दावन में श्री बांके बिहारी का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया. शुक्रवार को जन्मोत्सव के आयोजन में रात तक ठाकुर जी के पट खुले रहेंगे.

13 विवाह कानूनों की जगह आएगा एक कानून

कोलकाता. पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी के तहत ड्राफ्टिंग कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में होने की बात सामने आई है. प्रस्तावित यूसीसी के तहत अलग-अलग समुदायों के विवाह और पारिवारिक मामलों को एक समान कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत लाने की योजना है. मौजूदा 13 विवाह एवं पारिवारिक कानूनों की जगह एक नया कानून लाया जा सकता है. इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था को बढ़ावा देना बताया गया है.

वोटर लिस्ट से राघव चड्ढा का नाम कटा

चंडीगढ़, 3 सितंबर. पंजाब की ड्राफ्ट मतदाता सूची से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. चुनाव आयोग की ओर से 13 अगस्त को जारी प्रारूप में उनके नाम के सामने 'स्थायी रूप से स्थानांतरित' दर्ज है.

उनका नाम अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं वाली एएसडीडी सूची में शामिल किया गया है. चड्ढा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है. उन्होंने दावा किया कि मोहाली में पंजीकृत उनके मतदाता रिकॉर्ड को स्थानांतरित बताने की प्रक्रिया में पंजाब सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका रही. बूथ लेवल अधिकारी से लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों पर राज्य सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है. सांसद ने चुनाव आयोग के एसआईआर दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रावधान मौजूद हैं.

▶ भड़के बोले- 'बौखलाई हुई है आप'

उनका दावा है कि वर्तमान सांसद होने के बावजूद उनका नाम प्रारूप सूची से हटा दिया गया, जबकि संबंधित नियमों के तहत दावे और आपत्तियों की अवधि में उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए था. चड्ढा ने यह भी आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व उनके खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई कर रहा है.

कोर्ट की टिप्पणी ▶ मुंबई साथ नहीं जाने पर मांगा तलाक, 16 साल से दोनों रह रहे अलग

पत्नी 'पग डॉग' नहीं, जो हर जगह पति के साथ जाए

चेन्नई, 3 सितंबर. मद्रास हाईकोर्ट ने लंबे समय से अलग रह रहे एक दंपती के तलाक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि पत्नी का हर जगह पति के साथ जाना अनिवार्य नहीं है.

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एमडी सुमति की पीठ ने कहा कि नौकरी या अन्य परिस्थितियों के कारण पति किसी दूसरे शहर में जाए तो पत्नी से उसके पीछे उसी तरह चलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे वोडाफोन के पुराने विज्ञापन में पग

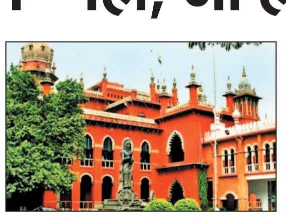

डॉग को दिखाया जाता था. मामले में पति-पत्नी की शादी सितंबर 1992 में हुई थी और दोनों के चार बच्चे हैं. पति की उम्र अब 67 वर्ष है. दोनों करीब 16 वर्षों से अलग रह रहे थे. पति ने नौकरी के सिलसिले में तमिलनाडु के शिवगंगा से मुंबई जाने के बाद पत्नी के साथ नहीं आने का जिक्र करते हुए तलाक की याचिका दाखिल की थी. उसने पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाहेतर संबंध होने का आरोप भी लगाया था. पति ने वर्ष 2014 में शिवगंगा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की. सितंबर 2021 में पारिवारिक अदालत ने याचिका खारिज कर दी. कोर्ट का कहना था कि पति खुद नौकरी के लिए मुंबई गया और पत्नी को साथ नहीं ले गया. ऐसे में वह अपनी ही गलती का लाभ उठाकर वैवाहिक संबंध समाप्त करने की मांग नहीं कर सकता.

सुलह का रास्ते हो गए बंद

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के बीच सुलह की संभावना तलाशने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. पीठ ने पाया कि दोनों के बीच लंबे समय से दूरी और कड़वाहट बनी हुई है तथा साथ रहने की कोई वास्तविक संभावना दिखाई नहीं देती. अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक अलग रहना, वैवाहिक संबंध का प्रभावी रूप से समाप्त हो जाना और दोबारा साथ आने की संभावना न होना है.

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ
LIC 70 Years
हमारा सफर, आपका विश्वास. Our Journey, Your Trust.

इस तस्वीर में एलआईसी एजेंट को पहचानिए

आप यकीनन नहीं पहचान पाएंगे
क्योंकि वह आपके परिवार के एक सदस्य की तरह है!

हमारे एजेंट से आज ही संपर्क करे, जो आपका पारिवारिक मित्र है, और विचार विमर्श करें कि जीवन बीमा आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति और नियोजित रिटायरमेंट को पूरा करने में कैसे मददगार हो सकता है।

LIC/P1/2025-26/34/Hin

क्यूआर कोड स्कैन करें और डाउनलोड करें My LIC App
विज़िट करें: licindia.in
कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827
हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'
हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512